

राज्यपाल सचिवालय
लोक भवन, जयपुर

क्रमांक: 1089

दिनांक: 20 फरवरी, 2026

कुलगुरु,
समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान

परिपत्र

विषय:- कुलगुरु पदनाम से पूर्व "माननीय" (Hon'ble) शब्द का प्रयोग नहीं करने के संबंध में।

यह ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय के कुलगुरु एवं कुलसचिव अपने पत्राचारों में कुलगुरु पद से पूर्व संबोधन शब्द "माननीय" (Hon'ble) का प्रयोग कर रहे हैं। Government of India, President's Secretariat द्वारा जारी Protocol Practice दिनांक 09.10.2012 में "माननीय" (Hon'ble) शब्द के प्रयोग के संबंध में वर्णित है कि The word "Hon'ble" will be used before the title of 'President' or 'Governor'. कुलगुरु का पद एक संवैधानिक पद नहीं है, इसलिए कुलगुरु पदनाम से पूर्व "माननीय" (Hon'ble) शब्द का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। अतः सभी कुलगुरु एवं कुलसचिव को निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में कुलगुरु पदनाम के आगे "माननीय" (Hon'ble) शब्द का प्रयोग नहीं किया जावे।

भवदीय

ह.

(डॉ. पृथ्वी)
सचिव

राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक: 1090

दिनांक: 20 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव..... विभाग।
2. कुलसचिवगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
3. वित्त नियंत्रक, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
4. प्रभारी अधिकारी (IT), राजभवन, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।



सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान